



18

समक्ष श्रीमान न्यायालय 'मण्डल' कानपुर मं.प्र.०

पुनर्स्थापन - 642/2018/नरसिंहपुर/श्र.र. प्र.०.५०

शिकायतकर्ता कोषी- \_\_\_\_\_ आवेदन  
 पता- \_\_\_\_\_ आवेदन  
 निम्न प्रमाणित \_\_\_\_\_ आवेदन

जिला. नरसिंहपुर

कानपुर कोषी- 4

आवेदन पत्र कालि. नि.प्र.श. निगरानी 21/228/16 को पुनर्स्थापित  
किये जाने का

आवेदन की ओर से निम्न खिन्ना प्राप्त है।

1. आवेदन द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्र.क. निगरानी  
21/228/16 प्राप्त की थी जो दिनांक 25/07/18 को  
कानपुर कोषी में धारित कर गई।
2. वह कि आवेदन को अधिलेख का प्र. जानकारी दी गई  
थी कि प्र.क. में सहाय की नियुक्ति नहीं हुई है का निष्कर्ष  
~~नियुक्ति नहीं हुई~~ में सुनिश्चित नहीं होगी।
3. वह कि उक्त निम्न को अपेक्षा वर्धित कारणों से आवेदन  
अपेक्षा वर्धित नहीं है (कि) या (कि) उनके प्र.क. (या) प्र.क. में  
नहीं है।
4. वह कि अपेक्षा वर्धित परिस्थितियों में प्राप्त आवेदन  
सहाय है एवं न्यायालय में लीकार किये जायेगा।

Recorder

29/11/18

अतः श्रीमान न्यायालय से निकलते हैं कि प्राप्त आवेदन  
लीकार कर निगरानी 21/228/16 को पुनः सहाय प्र.  
स्थापित करने का आवेदन न्यायालय में धारित करेगी।

29/11/18

अधिलेख  
अनुसूचि जाति  
अधिलेख/आवेदन  
940676 8889

M

~~रिपोर्ट~~ 6412/18 / मरिचिहेंडुल भूरा  
रेस्टो

24/1/19

आवेदक अर्थात् श्री अणुशय कुलकर्णी,  
के प्रकलन में तक्रारमें (आदेश 2119)  
सदस्य

5/2/19  
जवाबदा

आवेदक अर्थात् श्री तर्क पराव-चार—  
श्रीम। विचारोपरीत मरिचिहेंडुल प्रकलन  
कुमांक 2128 -I/16 में पारित आदेश—  
दिनांक 25/7/18 को उन: नमाल  
परिष्कारण के आदेश दिखे जाते हैं।  
यह प्रकलन रेस्टो कर- समाप्त किया  
जाता है।  
सदस्य

m